संख्या-12/2016/452/22-2-2016-56जी/2015

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक/चिकित्साधिकारी, कारागार, उत्तर प्रदेश।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 04 मार्च, 2016

विषय: प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरूष, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला तथा गम्भीर बीमारी से ग्रसित/अशक्त सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-660/22-2-2005-17(346)/92, दिनांक 13.04.2005 तथा शासनादेश संख्या-1292/22-2-2012-19जी/2012, दिनांक 02.11.2012 की परिधि में आने वाले प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त सिद्धदोष बन्दियों के सम्बन्ध में अगले बीस दिन में उनके रिहाई अनुरोध पर विचार किये जाने तथा अपनी स्पष्ट संस्तुति महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशा0पत्र सं0-179/22-2-2016-56जी/2015, दिनांक 01.02.2016 द्वारा प्रदेश के समस्त जिला मजिस्ट्रेट को निदेशित किया गया था। उक्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी सिद्धदोष बन्दियों के समयपूर्व रिहाई के प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट द्वारा महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित नहीं किये गये हैं। शासनादेश दिनांक 02.11.2012 द्वारा जनपद स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समिति गठित है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरूष, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला तथा गम्भीर बीमारी से ग्रसित/अशक्त सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई के प्रकरण के साथ बन्दी के प्रार्थना-पत्र उपलब्ध न हो, तो उसे निरूद्धी के कारागार अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक द्वारा बन्दी को अवसर देते हुए प्राप्त किये जायें तथा सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को तत्काल संदर्भित किये जायं। ऐसे बन्दियों को निरूद्धी के कारागार अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक द्वारा 10 मार्च, 2016 तक व आगामी माह के प्रथम सप्ताह तक

http://shasanadesh.up.nic.in

उनके गृह जनपदों की कारागारों पर पुलिस गार्ड अभिरक्षा में स्थानान्तरित कर दिया जाये। जिन जनपदों में कारागार न हो, उनके जनपद से सम्बन्धित कारागार में स्थानान्तरित कर दिये जाये। इसकी सूचना सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक को भेज दी जाय। समिति की बैठक सम्पन्न होने के पश्चात इन बन्दियों को पुन: उनके मूल कारागार पर पूर्ण पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्थानान्तरित कर दिया जाय। समिति सिद्धदोष बन्दी की भी सुनवाई सम्बन्धित कारागारों में करेगी और उसे समिति के समक्ष उपस्थित होने हेतु युक्तियुक्त समयपूर्व सूचना प्रदान करेगी। सम्बन्धित कारागार अधीक्षक सिद्धदोष बन्दी के फार्म-ए, नामिनल रोल तथा इनफरमिटी रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्बन्धी निर्धारित प्रपत्र/अभिलेख सहित बन्दियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत/उपस्थित करायेगा। इनफरमिटी रोल के प्रकरणों में चिकित्सकों की उपस्थिति हेतु कारागार अधीक्षक द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी से अनुरोध कर लिया जाय। समिति की बैठक मार्च माह में 26 तारीख को तथा आगामी प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार को सम्पन्न कर अपनी संस्तुति महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को तत्काल प्रेषित करेगी और जिस पर यथा प्रक्रिया प्रोबेशन बोर्ड/सलाहकार समिति की आख्या/संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- ऐसे बन्दियों की सूचनाएं निर्धारित प्रारूप में संकलित कर महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दी जायं।

कृपया आदेशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

संख्या-452(1)/22-2-2016,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त अधिकारी एवं अनुभाग कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6- समस्त परिक्षेत्रीय कारागार, उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में शासनादेश दिनांक 02.11.2012 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा प्रेषित संस्तुतियों का विवरण।

क्र0सं0	बन्दी /उसके पिता का नाम	सजा अवधि		निरूद्धी का कारागार	स्थानान्तरित/गृह जनपद का कारागार	समयपूर्व रिहाई का प्रकार	कारागार मुख्यालय में डी0एम0 से संस्तुति प्राप्त होने की तिथि
		परिहार	सपरिहार				

http://shasanadesh.up.nic.in